न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
038/2023 (रा.अ.) (GCMS 2023/317)	30.10.2023	20.02.2024

अनवान

गोपाल पिता रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी धनेत कलां तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

प्रत्यर्थी

उपस्थिति :– छोगालाल जाट — अपीलार्थी
भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता) — प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ बमिसल क्रमांक 009/2023 निर्णय एवं आदेश दिनांक 11.09.2023

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध प्रत्यर्थी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय व आदेश न्याय, नियम एवं वाक्याती तथ्यों के विपरित होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं। पटवारी हल्का धनेत कलां ने अपीलार्थी/अतिक्रमी के विरूद्ध इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलांट ने मौजा धनेत कलां तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 797 रकबा 0.52 हैक्टेयर किस्म नाडा(बिलानाम) के जुज रकबा 0.02 हैक्टेयर पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर मकान बना रखा हैं। उक्त रिपोर्ट पर अधीनस्थ विचारण में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट/अतिक्रमी को नोटिस जारी किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में अपीलांट/अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया गया व निवेदन किया कि तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के द्वारा संग्रहण हेतु 3 बिस्वा भूमि का अपनी माता को आवंटन आदेश पारित किया गया है व उक्त तीन बिस्वा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूमि का अपीलार्थी/अतिक्रमी व उसके दो भाईयों ने मिलकर आपसी बंटवाडा कर अलग-अलग काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। अपीलार्थी अतिक्रमी नहीं होकर सद्भावी काश्तकार हैं, जिसके विरुद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है, फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं करना व फोटो प्रति को संदेहास्पद मानते हुए अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली, जुर्माना व पक्का मकान जप्त सरकार किए जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय न्यायालय में अपीलार्थी व उसके भाईयों ने जवाब नोटिस व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर यह प्रमाणित करवाया कि अपीलार्थी का अवैध अतिक्रमण नहीं वैध कब्जेदार हैं फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/अतिक्रमी का अतिक्रमण मानते हुए निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किए जाने योग्य हैं। अपीलार्थी की माता को तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के द्वारा संग्रहण स्थल हेतु बाडा आवंटन आदेश पारित किया है व कब्जा सिपुर्द किया गया है जिससे बाडा आवंटन आदेश को निरस्त कराए बगैर अधीनस्थ विचारण न्यायालय को अतिक्रमण की कार्यवाही कि जाने का किसी प्रकार को कोई हक व अधिकार नहीं होते हुए अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं, अन्त में प्रार्थना की गई कि अपील बहक अपीलांट स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय व आदेश दिनांक 11.09.2023 निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

इस पर अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रत्यर्थी की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/ राजस्व/2024/07 दिनांक 16.01.2024 से से उनकी मूल पत्रावली संख्या 009/2023 निर्णय दिनांक 11.09.2023 अनवानी सरकार बनाम गोपाल पिता रामचन्द्र ब्राहम्ण निवासी धनेत कलां अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को प्रेषित की गई जो कि रिकार्ड पर होकर पत्रावली के हम किता है।

अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद पेश होने से दिनांक 30.01.2024 को राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण में सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया। इस पर उभयपक्ष की सहमति से प्रकरण को सीधे बहस हेतु रखा गया। इस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस अपील को उभयपक्ष सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय व आदेश न्याय, नियम एवं वाक्याती तथ्यों के विपरित होकर निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का धनेत कलां ने अपीलार्थी/अतिक्रमी के विरुद्ध इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलांट ने मौजा धनेत कलां तहसील

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 797 रकबा 0.52 हैक्टेयर किस्म नाडा(बिलानाम) के जुज रकबा 0.02 हैक्टेयर पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर मकान बना रखा है। उक्त रिपोर्ट पर अधीनस्थ विचारण में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट/अतिक्रमी को नोटिस जारी किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में अपीलांट/अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया गया व निवेदन किया कि तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के द्वारा संग्रहण हेतु 3 बिस्वा भूमि का अपनी माता को आवंटन आदेश पारित किया गया है व उक्त तीन बिस्वा भूमि का अपीलार्थी/अतिक्रमी व उसके दो भाईयों ने मिलकर आपसी बंटवाडा कर अलग-अलग काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है।

इसके जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से प्राप्त मूल अभिलेख पत्रावली का अवलोकन कराया एवं बताया कि मौजा धनेत कलां की आराजी संख्या 797 रकबा 0.52 हैक्टेयर बिलानाम भूमि दर्ज रेकार्ड होकर किस्म भूमि **नाडा** है। किस्म भूमि नाडा होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 अनुसार उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकारों उद्यभूत नहीं होते हैं। इसके साथ उक्त अराजीयात बाबत् अपीलार्थी की माता को राजस्थान भू-राजस्व (संग्रहस्थल हेतु भूमि आवंटन) नियम 1961 के नियम 4 के तहत आवंटित किया जाना बताया गया हैं, लेकिन नियम 1961 के नियम 4(क) के अनुसार आवंटित भूमि में आवंटिती का स्वामित्वाधिकार नहीं होता है। तथा आवंटिती को आवंटित भूमि पर स्थाई प्रकार की कोई कच्ची या पक्की संरचना स्थापित किये जाने का अधिकार नहीं होता हैं। विवादित आराजीयात बिलानाम अभिलिखित होकर राजकीय भूमि की श्रेणी में आती हैं एवं अपीलार्थी का कब्जा राजकीय भूमि पर होने से नियमन की पात्रता नहीं रखता हैं, जिससे अपीलार्थी की अपील सारहीन होकर खारीज किये जाने योग्य हैं। वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार राजकीय भूमि आवंटन/नियमन योग्य नहीं हैं। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा स्वयं अपने अपील मेमों में आराजीयात जैरबहस पर अपना अतिक्रमण करना स्वीकार किया है ऐसी स्थिति में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। अतः तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी अतिक्रमी नहीं होकर सद्भावी काश्तकार है, जिसके विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं हैं, फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं करना व फोटो प्रति को संदेहास्पद मानते हुए अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली, जुर्माना व पक्का मकान जप्त सरकार किए जाने का निर्णय व आदेश

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय न्यायालय में अपीलार्थी व उसके भाईयों ने जवाब नोटिस व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर यह प्रमाणित करवाया कि अपीलार्थी का अवैध अतिक्रमण नहीं वैध कब्जेदार है फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/अतिक्रमी का अतिक्रमण मानते हुए निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थी की माता को तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के द्वारा संग्रहण स्थल हेतु बाडा आवंटन आदेश पारित किया है व कब्जा सिपुर्द किया गया है जिससे बाडा आवंटन आदेश को निरस्त कराए बगैर अधीनस्थ विचारण न्यायालय को अतिक्रमण की कार्यवाही कि जाने का किसी प्रकार को कोई हक व अधिकार नहीं होते हुए अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है, अतः अपील बहक अपीलांट स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय व आदेश दिनांक 11.09.2023 निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान किया जावें। इसी ईश्तुदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन-मनन किया। हस्तगत अपील के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने में न्यायालय के समक्ष निर्णय का बिन्दु यह उभर कर आता है कि – **''अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.09.2023 विधि अनुसार पारित किया गया है या नहीं, अगर नहीं तो निर्णय क्या होगा?''**

अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत व्यवस्था की गई है कि :-

91. Unauthorlsed occupation of Land - (1) Any person who occupies or continues to occupy any land without lawful monthly shall be regarded as a trespasser and may be summarily evicted there from by the Tehsildar at any time of his motion or upon the application of a local authority at whose disposal such land has been placed, and 69[any crop standing, or any} building or other construction erected. or anything deposited on such land shall, if not removed with in such reasonable time as the Tehsildar may from time to time fix for the purpose, be liable to be forfeited to the State and to be disposed of 1[in the case of any such crop, in the manner he thinks fit and in other cases] as the Collector may direct:

Provided that the Tehsildar may in lieu of ordering the forfeiture of any such building or other construction, order the demolition of the whole or any part thereof.

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। हमने राजस्व विधियों का गहनता पूर्वक चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन-मनन किया। आराजीयात

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जैरबहस बिलानाम दर्ज रेकार्ड है जिसके हितों की रक्षा करने का भार विधि अनुसार तहसीलदार में निहित है एवं पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रारम्भ करते हुए अपीलार्थी को विधि अनुसार नोटिस प्रेषित कर अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जिसकी पुष्ठि अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख पत्रावली से होती है। इससे यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही करके विधिक प्रावधानों के तहत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए बेदखली, शास्ति आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा स्वयं अतिक्रमण किया जाना अपील मेमों में अंकित किया गया है। इसके साथ ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की सत्यता को संदेहास्पद माना गया है, इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई तथ्य अभिवचन न्यायालय के समक्ष नहीं किया गया है।

हस्तगत प्रकरण इस तथ्य को देखना भी आवश्यक है कि प्रश्नगत आराजीयात की किस्म भूमि **नाडा** दर्ज रेकार्ड है जो कि **भू–राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील/नदी/तालाब/नाला/केचमेंट एरिया आदि जलाशयी की भूमि पर निजी खातेदारी के अधिकार उद्यभूत नहीं होते है जैसा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय रिट संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार आदेश दिनांक 02.08.2004** द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा इस तथ्य को उठाया गया है कि प्रश्नगत आराजी अपीलार्थी की माता को राजस्थान भू–राजस्व (संग्रहस्थल हेतु भूमि आवंटन) नियम 1961 के नियम 4 के तहत आवंटित की गई है। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई भी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य इस न्यायालय में एवं अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके साथ ही नियम 1961 के नियम 4 'क' के तहत आवंटित भूमि में आवंटिती का स्वामित्वाधिकार नहीं होता है वह सरकार में निहित होता है एवं बिना मुआवजा चुकाये किसी भी समय भूमि का पुनर्ग्रहण करने का सरकार को अधिकार को होता है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत आराजीयात राजकीय भूमि दर्ज है। इसके संबंध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही किये जाने बाबत् संबंधित तहसीलदार को विधि अनुसार शक्तियां प्राप्त है ताकि राजकीय भूमि पर अवैधानिक/जबरन/कब्जे/अतिक्रमण को रोका जा सके, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 2(44) अनुसार अतिक्रमी करार दिया जाना उचित प्रतीत होता है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात के परिशीलन से निर्णय के बिन्दु पर विचार किये जाने पर यह तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.09.2023 में किसी भी प्रकार से कोई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.09.2023 विधि सम्मत होकर इसमे किसी प्रकार के संशोधन एवं हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.09.2023 संपुष्ट किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन राजस्व अपील प्रकरण संख्या 038/2023(रा.अ.) अनवानी गोपाल बनाम सरकार अपील अपीलार्थी गुणावगुण पर सारहीन एवं बलहीन होने से खारीज की जाती है, एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने प्रकरण संख्या 009/2023 निर्णय दिनांक 11.09.2023 अनवानी सरकार बनाम गोपाल को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय की प्रति के नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **20.02.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official